समाहरणालय, मधेपुरा।
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

श्री मुरलीधर प्रसाद सिंह, पे0 श्री आदित्य प्रसाद सिंह, सा0 मधेपुरा वार्ड नं0-14 विद्यापुरी मोहल्ला, थाना+ जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन देकर सूचित किया है कि इनके नाम से एक नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-001/1983(मधेपुरा थाना) पर धारित शस्त्र सं0-4892-ए./2 निर्गत है। इन्होंने अंकित किया है कि राज्य से बाहर रहने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्रों का सत्यापन एवं बायोडाटा समर्पित नहीं किया जा सका है। इन्होंने विहित प्रपत्र में बायोडाटा, अनुज्ञप्ति की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करने की प्रार्थना की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 27/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में बायोडाटा समर्पित नहीं करने के कारण शस्त्र नियमावली-1962 का नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाब. आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र 72 वर्ष से अधिक अंकित किए हैं। उक्त प्रपत्र पर चिपकाए गए फोटो से ही स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी काफी उम्रदराज हो गए हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उक्त शस्त्र का रख-रखाव किया जाना असंभव प्रतीत होता है एवं परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा दुरूपयोग किए जाने की पूर्ण संभावना है। कई बार भौतिक सत्यापन हेतु तिथि निर्धारण किए जाने के बावजूद भी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करायें हैं। अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा राज्य से बाहर रहने का कोई पुख्ता प्रमाण समर्पित नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि वास्तविक रूप से निरीक्षण के समय कहाँ थे एवं घर कब लौटे। अनुज्ञप्ति की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनका अनुज्ञप्ति वर्ष 2013 तक ही अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा द्वारा नवीकृत एवं वर्ष 2011 तक निरीक्षित है। विगत दो वर्षो से शस्त्र का निरीक्षण नहीं कराया गया है, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंघन है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एक नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-001/1983(मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी श्री मुरलीधर प्रसाद सिंह, पे0 श्री आदित्य प्रसाद सिंह, सा0 मधेपुरा वार्ड नं0-14 विद्यापुरी मोहल्ला, थाना+ जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं धारित शस्त्र मधेपुरा थाना मालखाना में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री सिंह द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मूल अनुज्ञप्ति पंजी पर '' रद्द '' प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Ameena
12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 101/शस्त्र, दिनांक 12-03-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री मुरलीधर प्रसाद सिंह, पे0 श्री आदित्य प्रसाद सिंह, सा0 मधेपुरा वार्ड नं0-14 विद्यापुरी मोहल्ला, थाना+ जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Ameena
12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।